## <sup>1</sup>[Rule 21A: Suspension of registration

- (1) Where a registered person has applied for cancellation of registration under rule 20, the registration shall be deemed to be suspended from the date of submission of the application or the date from which the cancellation is sought, whichever is later, pending the completion of proceedings for cancellation of registration under rule 22.
- (2) Where the proper officer has reasons to believe that the registration of a person is liable to be cancelled under section 29 or under rule 21, he may <sup>2</sup>[\*\*\*\*] suspend the registration of such person with effect from a date to be determined by him, pending the completion of the proceedings for cancellation of registration under rule 22.
- <sup>3</sup>[(2A) Where, a comparison of the returns furnished by a registered person under section 39 with-
  - (a) the details of outward supplies furnished in FORM GSTR-1; or
  - (b) the details of inward supplies derived based on the details of outward supplies furnished by his suppliers in their FORM GSTR-1,

or such other analysis, as may be carried out on the recommendations of the Council, show that there are significant differences or anomalies indicating contravention of the provisions of the Act or the rules made thereunder, leading to cancellation of registration of the said person, his registration shall be suspended and the said person shall be intimated in **FORM GST REG-31**, electronically, on the common portal, or by sending a communication to his e-mail address provided at the time of registration or as amended from time to time, highlighting the said differences and anomalies and asking him to explain, within a period of thirty days, as to why his registration shall not be cancelled.]

(3) A registered person, whose registration has been suspended under sub-rule (1) or sub-rule (2) <sup>4</sup>[or sub-rule (2A)], shall not make any taxable supply during the period of suspension and shall not be required to furnish any return under section 39.

<sup>1</sup> Rule 21A inserted by Noti. No. 03/2019–Central Tax, dt. 29-01-2019 w.e.f. 01-02-2019.

The words ", after affording the said person a reasonable opportunity of being heard," omitted by Noti. No. 94/2020–Central Tax, dt. 22-12-2020 w.e.f. 22-12-2020.

<sup>3</sup> Sub-rule (2A) inserted by Noti. No. 94/2020–Central Tax, dt. 22-12-2020 w.e.f. 22-12-2020.

<sup>4</sup> Inserted by Noti. No. 94/2020–Central Tax, dt. 22-12-2020 w.e.f. 22-12-2020.

#### Central Goods & Services Tax Rules, 2017

- <sup>5</sup>[Explanation–For the purposes of this sub-rule, the expression "shall not make any taxable supply" shall mean that the registered person shall not issue a tax invoice and, accordingly, not charge tax on supplies made by him during the period of suspension.]
- <sup>6</sup>[(3A) A registered person, whose registration has been suspended under sub-rule (2) or sub-rule (2A), shall not be granted any refund under section 54, during the period of suspension of his registration.]
- (4) The suspension of registration under sub-rule (1) or sub-rule (2) <sup>7</sup>[or sub-rule (2A)] shall be deemed to be revoked upon completion of the proceedings by the proper officer under rule 22 and such revocation shall be effective from the date on which the suspension had come into effect.]
  - <sup>8</sup>[Provided that the suspension of registration under this rule may be revoked by the proper officer, anytime during the pendency of the proceedings for cancellation, if he deems fit.]
  - <sup>9</sup>[Provided further that where the registration has been suspended under sub-rule (2A) for contravention of the provisions contained in clause (b) or clause (c) of sub-section (2) of section 29 and the registration has not already been cancelled by the proper officer under rule 22, the suspension of registration shall be deemed to be revoked upon furnishing of all the pending returns.]
- <sup>10</sup>[(5) Where any order having the effect of revocation of suspension of registration has been passed, the provisions of clause (a) of sub-section (3) of section 31 and section 40 in respect of the supplies made during the period of suspension and the procedure specified therein shall apply.]

<sup>5</sup> Explanation inserted by Noti. No. 49/2019–Central Tax, dt. 09-10-2019 w.e.f. 09-10-2019.

<sup>6</sup> Sub-rule (3A) inserted by Noti. No. 94/2020–Central Tax, dt. 22-12-2020 w.e.f. 22-12-2020.

<sup>7</sup> Inserted by Noti. No. 94/2020–Central Tax, dt. 22-12-2020 w.e.f. 22-12-2020.

<sup>8</sup> Proviso inserted by Noti. No. 94/2020–Central Tax, dt. 22-12-2020 w.e.f. 22-12-2020.

<sup>9</sup> Proviso inserted by Noti. No. 14/2022–Central Tax, dt. 05-07-2022 w.e.f. 05-07-2022.

**<sup>10</sup>** Sub-rule (5) inserted by Noti. No. 49/2019–Central Tax, dt. 09-10-2019 w.e.f. 09-10-2019.

#### केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

# <sup>1</sup>[नियम 21क : रजिस्ट्रीकरण का निलंबन

- (1) जहां किसी व्यक्ति ने नियम 20 के अधीन रिजस्ट्रीकरण के रद्द किए जाने का आवेदन किया है, वहां नियम 22 के अधीन रिजस्ट्रीकरण के रद्द किए जाने की कार्यवाहियों की पूर्णता के लंबित रहने के दौरान, आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से या उस तारीख, जिसको कि रद्दकरण चाहा गया है, जो भी पश्चात् की हो, से रिजस्ट्रीकरण निलंबित किया गया समझा जाएगा।
- (2) जहां किसी समुचित अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि धारा 29 या नियम 21 के अधीन किसी व्यक्ति का रिजस्ट्रीकरण रद्द किए जाने के दायित्वाधीन है, <sup>2</sup>[......] नियम 22 के अधीन रिजस्ट्रीकरण के रद्द किए जाने की कार्यवाहियों की पूर्णता के लंबित रहने के दौरान, वह ऐसे व्यक्ति का उस तारीख से प्रभावी, जो कि इसके द्वारा अवधारित की जाए, रिजस्ट्रीकरण निलंबित कर सकेगा।
- <sup>3</sup>[(2क) जहां, धारा 39 के अधीन किसी रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणियों की तुलना —
  - (क) प्ररूप जीएसटीआर—1 में प्रस्तुत किए गए जावक प्रदायों के ब्यौरे; या
  - (ख) उसके आपूर्तिकर्ता के द्वारा उनके प्ररूप जीएसटीआर—1 में प्रस्तुत किए गए जावक प्रदायों के ब्यौरे के आधार पर निष्कर्षित आवक प्रदायों के ब्यौरे.

या ऐसे अन्य विश्लेषण, जो परिषद् की सिफारिशों पर किए जा सकेंगे, करने पर यह पता चलता है कि ऐसी महत्वपूर्ण अंतर या विसंगतियां हैं जो अधिनियम के उपबंधों या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उल्लंघन को दर्शाता है, जिससे उस व्यक्ति का रिजस्ट्रीकरण रद्द किया जा सकता हो, तो उसके रिजस्ट्रीकरण को निलंबित कर दिया जाएगा और ऐसे व्यक्ति को, उक्त अंतर और विसंगतियों को दर्शाते हुए, सामान्य पोर्टल पर, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, प्ररूप जीएसटी आरईजी—31 में या रिजस्ट्रीकरण के समय दिए गए ई—मेल पते, या समय—समय पर संशोधित पते पर, इसके बारे में सूचित कर दिया जाएगा और उसे तीस दिनों के भीतर यह स्पष्ट करने के लिए कहा जाएगा कि उसके रिजस्ट्रीकरण को रद्द क्यों न किया जाए।

(3) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका रजिस्ट्रीकरण उपनियम (1) या उपनियम (2) <sup>4</sup>[या उपनियम (2क)] के अधीन निलंबित किया गया है, निलंबन की कालावधि के दौरान कोई कराधेय पूर्ति नहीं करेगा और धारा 39 के अधीन कोई विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित नहीं होगा।

<sup>1</sup> अधिसूचना क्रमांक 3/2019—केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा नियम 21क अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.02.2019)।

<sup>2</sup> अधिसूचना क्रमांक 94 / 2020—केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा "उस व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्" विलोपित (प्रभावशील दिनांक 22.12.2020)।

<sup>3</sup> अधिसूचना क्रमांक 94 / 2020 – केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा उपनियम (2क) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 22.12.2020)।

<sup>4</sup> अधिसूचना क्रमांक 94/2020—केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 22.12.2020)।

### केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

- <sup>5</sup>[स्पष्टीकरण–इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, ''कोई कराधेय पूर्ति नहीं करेगा'' से यह अभिप्रेत होगा कि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कोई कर बीजक जारी नहीं करेगा और तदनुसार निलंबन की अवधि के दौरान उसके द्वारा किए गए प्रदायों पर कर प्रभार नहीं करेगा।]
- <sup>6</sup>[(3क) ऐसे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिसका रजिस्ट्रीकरण उपनियम (2) या उपनियम (2क) के अधीन निलंबित कर दिया गया हो, उसके रजिस्ट्रीकरण के निलंबित रहने के अवधि के दौरान, धारा 54 के अधीन कोई भी प्रतिदाय नहीं किया जाएगा।]
- (4) नियम 22 के अधीन समुचित अधिकारी द्वारा कार्यवाहियों के पूर्ण हो जाने पर उपनियम (1) या उपनियम (2) <sup>7</sup>[या उपनियम (2क)] के अधीन किया गया रिजस्ट्रीकरण का निलंबन प्रतिसंहरित हुआ समझा जाएगा और ऐसा प्रतिसंहरण उस तारीख से प्रभावी होगा जिस तारीख को ऐसा निलंबन प्रभावी हुआ था।
  - <sup>8</sup>[परन्तु इस नियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के निलंबन को समुचित अधिकारी प्रतिसंहरण कर सकता है, रद्दीकरण की प्रक्रिया के लंबित रहने के दौरान किसी भी समय यदि वह उचित समझता है तो।]
  - <sup>9</sup>[परन्तु यह और कि जहां रजिस्ट्रीकरण, धारा 29 की उपधारा (2) के खंड (ख) या खंड (ग) में अंतर्विष्ट उपबंधों के उल्लंघन के लिए उपनियम (2क) के अधीन निलंबित किया गया है और रजिस्ट्रीकरण, नियम 22 के अधीन समुचित अधिकारी द्वारा पहले से ही रह नहीं किया गया है, वहां रजिस्ट्रीकरण का निलंबन सभी लंबित विवरणियों के प्रस्तुत किए जाने पर वापस लिया गया समझा जाएगा :]
- 10[(5) जहां रिजस्ट्रीकरण के निलंबन के प्रतिसंहरण को प्रभावी करने वाला कोई आदेश पारित हुआ है, वहां निलंबन की अवधि के दौरान और उसमें विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के दौरान किए गए प्रदायों के संबंध में धारा 31 की उपधारा (3) का खंड (क) और धारा 40 के उपबंध लागू होंगे।]

<sup>5</sup> अधिसूचना क्रमांक 49 / 2019—केन्द्रीय कर, दिनांक 09.10.2019 द्वारा स्पष्टीकरण अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 09.10.2019) |

<sup>6</sup> अधिसूचना क्रमांक 94/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा उपनियम (उक) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 22.12.2020)।

<sup>7</sup> अधिसूचना क्रमांक 94/2020—केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 22.12.2020)।

<sup>8</sup> अधिसूचना क्रमांक 94/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा परंतुक अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 22.12.2020)।

<sup>9</sup> अधिसूचना क्रमांक 14/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 05.07.2022 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 05.07.2022)।

<sup>10</sup> अधिसूचना क्रमांक ४९/२०१९—केन्द्रीय कर, दिनांक ०९.१०.२०१९ द्वारा उपनियम (5) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक ०९.१०.२०१९)।